# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2025/679**

मिसल नम्बर– 102 / 2025

द्रोपती बाई आयु 60 वर्ष पत्नी श्री गोकुलचंद जाति वैष्णव बैरागी निवासी मकान नं0 के.एच. 84 सेक्टर 6 केशवपुरा कोटा

प्रार्थीया।

बनाम

1.बबीता आयु 28 वर्ष पत्नी श्री योगेश
2.योगेश आयु 32 वर्ष पुत्र श्री गोकुलचंद
3.ममता आयु 25 वर्ष पत्नी जितेन्द्र
4.जितेन्द्र आयु 31 वर्ष श्री गोकुलचंद जाति वैष्णव बैरागी निवासी मकान नं0 क. एच. 84 सेक्टर 6 केशवपुरा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/12/25

उपस्थितिः–

1.श्री ओमप्रकाश नागर प्रार्थीया अधिवक्ता
2.अप्रार्थी नं0 2 व 4 स्वयं।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया वर्तमान में 60 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक महिला है तथा प्रार्थिया गृहणी महिला है तथा प्रार्थिया व उसका पति मन्दिर पर पूजा पाठ व सेवा अर्चना करके अपना जीवन यापन करते चले आ रहे है। प्रार्थीया व उसके पति की स्वअर्जित आय से निर्मित सम्पत्ति मकान, मकान नम्बर के.एच.–84, सेक्टर–6, केशवपुरा, कोटा राज० में स्थित चली आ रही है, जो वर्तमान में दो मंजिला पक्का बना हुआ है, जिसमें वर्तमान में ग्राउण्ड फ्लोर व प्रथम तल पर चार कमरे व हॉल बने हुऐ है तथा लेट–बाथ बने हुऐ है। प्रार्थिया के तीन पूत्र क्रमशः योगेश, जितेन्द्र व मोहित है। प्रार्थिया व उसके पति ने अपने दोनो बडे पुत्रो योगेश व जितेन्द्र का विवाह कर दिया है तथा सबसे छोटा पुत्र मोहित कुंवारा है। तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 प्रार्थिया की पुत्र वधु है तथा प्रतिपक्षी क्रम 2 उसका पति है तथा प्रतिपक्षी क्रम 3, प्रार्थिया की पुत्र वधु है तथा प्रतिपक्षी क्रम 4 उसका पति है । प्रतिपक्षी क्रम 1 लगायत 4 सभी प्रार्थिया के मालिकाना स्वामित्व वाले उपरोक्त मकान में बतौर लाईसेन्सी निवास करते चले आ रहे है तथा प्रार्थिया ने प्रतिपक्षीगण को

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

शादी के बाद अपने उपरोक्त मकान में निवास करने की अनुमति प्रदान की थी। प्रार्थिया 60 वर्षीय सीनियर सीटीजन महिला है, जो कि प्रार्थिया व उसका पति अक्सर बीमार रहते है तथा प्रार्थिया को बी. पी. रहता है तथा प्रार्थिया व उसका पति मन्दिर में सेवा पूजा, अर्चना करके अपना शांतीपूर्वक जीवन यापन करते चले आ रहे है। परन्तु प्रतिपक्षी क्रम 1 व 3 जो आपस में सगी बहने है, जो कि योजनाबद्ध तरीके से आये दिन प्रार्थिया व उसके पति के साथ अभद्र व्यवहार करती है, गाली गलोच करती है, अपशब्दो का प्रयोग करती है और यहां तक कई बार प्रार्थिया व उसके पति के साथ मारपीट तक करने पर आमदा हो गयी, जब प्रार्थिया अपने दोनो पुत्रो प्रतिपक्षी क्रम 2 व प्रतिपक्षी क्रम 4 से प्रतिपक्षी क्रम 1 व 3 की शिकायत करती तो उनको समझाने के बजाय उल्टा प्रतिपक्षी क्रम 2 व 4 भी उनका ही पक्ष लेते और प्रार्थिया व उसके पति को भला बुरा कहते तथा प्रार्थिया व उसके पति से कहते है कि वह घर छोडकर अन्यत्र चले जाए, अन्यथा उनका जीना मुश्किल कर देगें। प्रार्थिया व उसके पति की प्रतिपक्षीगण द्वारा कोई सार संभाल तक नही लेते है, ना ही उसे कोई खर्चा देते है, ना ही उनकी देखरेख करते है, ना उसका भरण पोषण करते है, और ना उसकी हारी बीमारी में कोई दवा दारू लाकर देते है, जब भी प्रार्थिया प्रतिपक्षीगण से मकान खाली करने की कहती है, तो प्रतिपक्षीगण, प्रार्थिया के साथ फोश फोश गालियां निकालते हुऐ प्रार्थिया के साथ बदतमिजी करते है और लडाई झगडा करते हुऐ मारपीट करने पर आमदा हो जाते है और प्रार्थिया को धमकी देते है कि यदि प्रार्थिया इस मकान पर आई तो प्रार्थिया के साथ अच्छा नही होगा और प्रार्थिया को जान से खत्म कर देगे तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 व 3 प्रार्थिया व उसके पति से कहती है कि हमे 20–20 लाख रूपये दो नही तो यहां से घर छोडकर चले जाओ। प्रतिपक्षीगण जिस मकान में निवास कर रहे है, वह मकान प्रार्थिया व उसके पति व प्रार्थिया की स्वयं की स्वअर्जित आय से खरीदा हुआ है, जिस पर प्रार्थिया व उसके पति का ही हक व अधिकार है। परन्तु प्रतिपक्षीगण ना तो प्रार्थिया को उक्त मकान में रहने दे रहे है, ना ही मकान में आने–जाने देते है, ना ही मकान का उपयोग उपभोग करने दे रहे है और ना ही प्रतिपक्षीगण, प्रार्थिया की कोई ऐर सबेर करते है, ना ही उसका भरण पोषण करते है, ना ही उसकी हारी बीमारी में कोई सेवा सुश्रुषा करते है और ना ही दवाईयां आदि लाकर देते है, बल्कि प्रार्थिया अपने मकान पर जाती है तो प्रार्थिया को मकान में नही जाने दिया जाता है और उल्टा मकान से बाहर निकालने पर आमदा है। इसी के चलते प्रार्थिया व उसके पति व छोटे पुत्र मोहित को लडाई– झगडा करके प्रतिपक्षीगण ने घर से निकाल दिया है, जिसके कारण प्रार्थिया व उसका पति वर्तमान में किराये के मकान में निवास कर रहे है तथा प्रार्थिया को अपने मकान पर आने–जाने भी नही दे रहे है। इस कारण से अब प्रार्थिया अपने स्वअर्जित सम्पत्ति मकान में प्रतिपक्षीगण को नही रखना/रहना चाहती है और उनसे उक्त मकान को निष्कासित करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने अपने पुत्रो प्रतिपक्षीगण को अपने उक्त मकान में पुत्रगण होने के नाते केवल मात्र रहने की अनुमति प्रदान की थी, परन्तु प्रार्थिया के पुत्रगण

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थिया के मकान सम्पत्ति ना तो प्रार्थिया को आने–जाने दे रहे है, ना ही मकान का उपयोग–उपभोग करने दे रहे है, ना ही मकान में रहने दे रहे है, बल्कि जब भी प्रार्थिया मकान पर रहने के लिए जाती है और मकान का उपयोग–उपभोग करना चाहती है, तो प्रतिपक्षीगण एक राय होकर प्रार्थिया से लड़ाई–झगड़ा करते है, गाली गलोच करते है और यहां तक कि मारपीट कर जान से मारने की भी धमकी देते है तथा यह भी धमकी देते है कि उक्त मकान को प्रतिपक्षीगण बैचान व खुर्द बुर्द करके रहेगे। जबकि ना तो प्रतिपक्षीगण, प्रार्थिया का भरण पोषण करता है, ना हारी बीमारी में कोई दवा आदि लाकर देता है, ना ही प्रार्थिया की कोई ऐर सबेर ही करता है उल्टा प्रार्थिया के साथ आये दिन लडाई झगडा करता है। प्रार्थीया ने उक्त सम्पत्ति मकान को अपनी व अपने पति की आय से खरीद किया है, प्रार्थिया ही उक्त सम्पत्ति मकान की एक मात्र मालिक स्वामिनी है, प्रार्थिया ने केवल मात्र प्रतिपक्षीगण को बतौर लाईसेन्सी मकान में रहने की अनुमति दी थी, परन्तु प्रतिपक्षीगण ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थिया के साथ मारपीट व लडाई–झगडा करते हुऐ जान से मारने पर आमदा है और मकान को हडप कर बैचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमदा है, इस कारण से अब प्रतिपक्षीगण उक्त मकान में नही रखना चाहती है। प्रार्थीया ने कई बार प्रतिपक्षीगण से उक्त मकान खाली कर प्रार्थिया को संभलाये जाने बाबत निवेदन भी किये गये, परन्तु प्रतिपक्षीगण प्रार्थीया से झगडा करते है, मारपीट पर उतारू होते है तथा स्पष्ट कहते है कि हमे कोई भी इस मकान से नही निकाल सकता, न ही हम किसी को इस मकान में रहने देगे। प्रार्थीया के पास केवल एक ही विकल्प रह गया है कि वह सम्माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर प्रतिपक्षीगण को उक्त मकान से हटाये। प्रार्थीया सीनियर सीटीजन है, जो कि अक्सर बीमार रहती है तथा प्रार्थिया बमुश्किल मन्दिर में सेवा पूजा व अर्चना करके अपना गुजारा करती चली आ रही है। परन्तु प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थिया को कोई सहायता राशि नही दी जाती है, और उल्टा प्रार्थिया के पूरे मकान को हडपना चाहता है। प्रतिपक्षीगण का व्यवहार व कृत्य दिन पर दिन और ज्यादा प्रार्थीया के प्रति क्रुरता पूर्ण हो गया है। और ऐनकेन प्रकारेण प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीया को आये दिन धमकियां दे रहे है कि प्रार्थीया उक्त मकान पर नही आए और अन्यत्र चली जाए, अन्यथा उसका साथ अच्छा नही होगा और उक्त मकान को बैचान करने की भी प्रतिपक्षीगण आये दिन धमकी देते रहे है, जबकि प्रार्थिया का कोई सहारा नही है, प्रार्थिया को छुपने के लिए एक मात्र छत व मकान प्रार्थिया का उक्त मकान ही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र (कार्यवाही) प्रार्थीया के पक्ष में व प्रतिपक्षीगण के विरूध स्वीकार फरमाते हुऐ प्रार्थीया के मालिकाना स्वामित्व वाले मकान वाकै मकान नम्बर के एच.–84, सेक्टर–6, केशवपुरा, कोटा राज० से प्रतिपक्षीगण को निष्कासित किये जाने बाबत आदेश प्रदान फरमावे तथा प्रार्थीया को व्यक्तिगत सुरक्षा व संरक्षा तथा प्रार्थीया के उक्त मकान सम्पत्ति की सुरक्षा निरन्तर रखते हुऐ उक्त बाबत समुचित आदेश प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रदान फरमाया जावे तथा अन्य

उपखण्ड अधिकारी
को.

न्यायोचित सहायता जो भी प्रकरण की परिस्थितियो के अनुसार उचित हो वह भी प्रार्थीया के पक्ष में पारित फरमाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थी नं0 2 व 4 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी नं0 2 व 4 की ओर से प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया गया। अप्रार्थी नं0 1 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुई। अतः बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी नं0 1 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी नं0 1 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीया की ओर से दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। प्रार्थीया की ओर से उक्त मकान की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति पेश की।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थिया के साथ मारपीट व लडाई–झगडा करते हुऐ जान से मारने पर आमदा है और मकान को हडप कर बैचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमदा है, इस कारण से अब प्रतिपक्षीगण उक्त मकान में नही रखना चाहती है।

अप्रार्थी नं0 2 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है एवं अप्रार्थी नं0 1 व 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुये है। अप्रार्थी नं0 1 व 3 द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है और ना ही प्रकरण में अप्रार्थी नं0 1 व 3 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थीया के कथनों का खण्डन किया गया है। चूंकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीया की कथनों का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थीया के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थीया द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान प्रार्थीया की स्वअर्जित मकान है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को प्रताडित किया जा रहा है। जिस कारण से हम प्रार्थीया का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वर्णित मकान मकान नं0 के.एच. 84 सेक्टर 6 केशवपुरा कोटा प्रार्थीया की स्व–अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें प्रार्थीया अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने हेतु स्वतंत्र हैं। पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करके प्रार्थीया को प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीया त्रस्त है। अप्रार्थीगण एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति करते रहते है। जिस कारण से प्रार्थीया को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 15 योम प्रार्थीया के स्वामित्व वाले मकान मकान नं0 के.एच. 84 सेक्टर 6 केशवपुरा कोटा को खाली कर देवें। उक्त आदेश की पालना नही करने की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये सम्बंधित थानाधिकारी को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक 31/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा